



## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांक: रासस/2015/6

दिनांक :- 17.03.2015

### परिपत्र

### श्रम कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश

देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकसित अर्थव्यवस्था श्रमिकों की अच्छी स्थिति पर निर्भर करती है, फिर भी श्रमिकों की दशा पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। श्रमिकों को उनके परिश्रम के अनुरूप वेतन नहीं मिलता है। महिला व पुरुष श्रमिकों के वेतन में असमानता असंतोष का बड़ा कारण है। कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। श्रमिकों के लिए दिन रात मेहनत करने पर भी बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना व परिवार का पालन करना कठिन है। खनन क्षेत्र के श्रमिक सिलीकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस व अस्थमा जैसी गंभीर ओक्यूपेशनल डिजीजेज से पीड़ित हैं जिसकी भयावह परिणति गोंव की अधिकांश महिलाओं के असमय विधवा होने के रूप में सामने आ रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति और भी खराब है जो अधिकांशतः भवन निर्माण जैसे अस्थाई कार्यों में नियोजित होते हैं जिनका कार्यस्थल बदलता रहता है। संगठन के अभाव में वे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। बढ़ते मशीनीकरण के दौर में नियमित कार्य नहीं मिलने से अधिकांश श्रमिकों के समक्ष आंशिक बेरोजगारी की स्थिति रहती है जो उन्हें नियोजकों की शोषणकारी शर्तों पर कार्य करने पर विवश करती है। इन हालात में श्रमिकों के जीवन में उल्लास, उम्मंग एवं संतुष्टि का बेहद अभाव है जिससे उनकी कार्यक्षमता भी निरंतर गिर रही है जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज के सर्वांगीण विकास के लिये घातक है, अतः श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया जाना समय की मांग है।

यद्यपि समय समय पर श्रमिकों के कल्याण के लिये कई कानून बने हैं, कई योजनायें जारी हुई हैं लेकिन श्रमिक आपसी संगठन, अशिक्षा, कानूनी सलाह एवं सहायता के अभाव में उनके लाभ के लिये बनाये गये कानूनों व योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु "Legal Services to the workers in unorganised sector Scheme 2010" जारी की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी दायित्व है कि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष कर श्रमिकों को निशुल्क कानूनी सलाह एवं निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जावे, अतः इन्हीं कानूनी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्रमिकों के हित में बनाये गये कानून एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं।

**श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाये गये कानून एवं योजनायें:-**

इस परिपत्र के साथ संलग्न सूची में विभिन्न विषयों पर श्रमिकों के सम्बन्ध में बने कानून व योजनायें वर्णित हैं जिनमें न्यूनतम वेतन, समान वेतन, नियोजकों से विवाद, कार्यस्थल पर सुरक्षा व सुविधाओं तथा विभिन्न प्रकार के अत्यचार व शोषण के खिलाफ उपचार व क्षतिपूर्ति के प्रावधान किये गये हैं ।

खनन क्षेत्र में सिलोकोसिस जैसी बीमारियों से होने वाली असामयिक मृत्यु से पीड़ित परिवार की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान एनवायरमेंटल हैल्थ बोर्ड (जिसे आगे रिहाब के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) बना रखा है । खान मालिकों पर दो प्रतिशत उपकर अधिरोपित है जिसकी करीब 500 करोड रूपये की राशि रिहाब के पास जमा है । रिहाब का दायित्व है कि वह खनन क्षेत्र में सिलीकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित मजदूर व उनके परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में एक लाख रूपये व मृत्यु की स्थिति में तीन लाख रूपये का भुगतान करें । बीमारी की वजह से कार्य के प्रति अयोग्य होने पर मासिक मजदूरी का 50 प्रतिशत भत्ता दिलाने और इसकी वजह से खनन कार्य छोड़ने पर वर्कमेंस कम्पनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा देय है ।

इसी तरह श्रमिकों के कल्याण की केन्द्र व राज्य स्तरीय अन्य योजनायें भी बनी हुई हैं ।

**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी "Legal Services to the workers in unorganised sector Scheme 2010 " का क्रियान्वयन**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये जारी योजना की प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है । सभी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना में वर्णित दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करेंगे ।

**श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाये गये कानून व योजनाओं का सघन प्रचार व प्रसार :-**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में गठित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल अधिवक्ता एवं दो पैरा लीगल वोलन्टियर ) को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने क्षेत्र में कार्यरत संगठित व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कार्यस्थलों पर प्रतिमाह अवसर स्थानों पर लंच के समय या अवकाश के दिन भेजेंगे जो श्रमिकों के बीच विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगे । सभी श्रमिकों को उनके अधिकारों व कल्याण के लिये बनी योजनाओं की जानकारी देंगे । प्रचार सामग्री वितरित करेंगे ,उनकी शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी ।

राजस्थान में करोली,धौलपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों के खनन क्षेत्र व उससे जुड़े गाँवों में अधिकांश श्रमिक सिलीकोसिस, एसबेसटोसिस, अस्थमा, टी0बी0, एन्थेक्स जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनकी वजह से अनेकों श्रमिकों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, अतः समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने अपने जिले के खनन क्षेत्रों और उनसे जुड़े गाँवों में विधिक जागरूकता टीम को अभियान के तौर पर भेजेंगे । प्रत्येक गाँव का सुव्यविस्थित कार्यक्रम बनायेंगे । विधिक जागरूकता टीम इन गाँवों में व खनन क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कल्याण के लिये

बने कानूनों व योजनाओं की जानकारी देगी । विशेष कर राजस्थान एनवायरमेंटल हैल्थ बोर्ड (रिहाब) और उसके माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं व क्षतिपूर्ति की जानकारी उपलब्ध करायेगी । उनके मध्य प्रचार सामग्री बँटेगी । सम्बंधित लोगों की शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करेगी ।

खनन क्षेत्र में occupational diseases से पीड़ित श्रमिकों के लिये बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन :-

सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्बंधित विधिक जागरूकता टीम को निर्देशित करेंगे कि खनन क्षेत्र व उससे जुड़े गाँवों में सिलीकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा जैसी occupational diseases से पीड़ित मजदूर एवं ऐसी occupational diseases से मृत मजदूरों के परिवारों को राजस्थान एनवायरमेंटल हैल्थ बोर्ड के गठन और उसके माध्यम से क्षतिपूर्ति दिलाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें। क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन तैयार करने में उनकी मदद करें और यह सुनिश्चित करें कि देय क्षतिपूर्ति से कानूनी ज्ञान, सलाह या सहायता के अभाव में एक भी पीड़ित मजदूर वंचित नहीं रहे ।

श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाई गई अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन :-

प्रत्येक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक जागरूकता टीम को निर्देशित करेंगे कि विधिक जागरूकता टीम प्रचार प्रसार कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को यह भी जानकारी दे कि उन्हें निशुल्क कानूनी सलाह व कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है । विधिक जागरूकता टीम के सदस्य श्रमिकों को उनके कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निशुल्क कानूनी सलाह देंगे। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन तैयार करने में उनकी मदद करेंगे । पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे ।

विधिक जागरूकता टीम का मानदेय :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 8873-8790 दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में उपरोक्त कार्यों के लिये प्रतिदिन के हिसाब से विधिक जागरूकता टीम के पैनाल अधिवक्ता को 500/रूपये व पैरा लीगल वोलियेन्टर को 250/रूपये मानदेय प्रदान करें साथ ही उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था किये जाने पर 6/रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन पर खर्च की गई राशि का भी भुगतान करें । मानदेय का भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, पार्षद, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी, श्रम विभाग से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करें :-

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि विधिक जागरूकता टीम के सदस्य गण

1.....2.....3.....4.....ने.....स्थान

का नाम उपस्थित हुए और उन्होंने कुल लोगों/बालकों को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बंध में जानकारी एवं कानूनी सलाह/सहायता प्रदान की ।

विधिक सेवा के एक लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर का संधारण कराया जायेगा और इस प्रारूप में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पूरे जिले की मासिक रिपोर्ट भिजवाई जायेगी जिसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।


कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्यों के लिये श्रमिकों के प्रति संवेदनशील एवं यथा सम्भव श्रम कानूनों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विधिक जागरूकता टीम में शामिल करें ।



श्रमिकों के कल्याण के लिए बने कानून एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने व श्रमिकों द्वारा उनका लाभ उठाने के संबंध में अलग से सरल भाषा में एक पुस्तिका तैयार की जा रही है जो शीघ्र सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भेजी जावेगी।

इस परिपत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित कानून व योजनाओं के अलावा अपने विवेकानुसार श्रमिकों के कल्याण के लिये वर्तमान में प्रभावी अन्य योजनाओं व भविष्य में आने वाली अन्य श्रम कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विधिक सेवा संस्थाओं के योगदान में कोई कमी नहीं रहे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
(सतीश कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

**1. LAW RELATED TO WAGES**

- The Payment Of Wages Act 1936
- The Payment Of Wages Rules 1937
- The Payment Of Wages (Amendment) Act 2005
- The Minimum Wages Act 1948
- The Minimum Wages (Central) Rules 1950
- The Working Journalist (Fixation Of Rates Or Wages) Act 1958
- The Payment Of Bonus Act 1965
- The Payment Of Bonus Rules 1975

**2. LAW RELATED TO LABOUR WELFARE**

- The Mica Mines Labours Welfare Fund Act 1946
- The Lime Stone & Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act 1972
- The Beedi Workers Welfare Fund Act 1976
- The Beedi Workers Welfare Cess Act 1976
- The Iron Ore Mines Manganese Ore Mines & Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act 1976
- The Iron Ore Mines Manganese Ore Mines & Chrome Ore Mines Labour Welfare Cess Act 1976
- The Cine Workers Welfare Fund Act 1981
- The Cine Workers Welfare Cess Act 1981
- The Employment Of Manual Scavengers And Construction Of Dry Latrines Prohibition Act 1993
- The Beedi & Cigar Workers (Condition Of Employment) Act 1966
- The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970
- The Inter State Migrant Workmen (Regulation Of Employment & Condition Of Service) Act 1979
- The Bonded Labour System (Abolition) Act 1976
- The Unorganized Worker's Social Security Act 2008
- The Unorganized Worker's Social Security Rules 2008

**3. LAW RELATED TO CHILD LABOUR**

- The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986
- The Children (Pledging Of Labour) Act 1933

**4. LAW RELATED TO WOMEN LABOUR**

- The Equal Remuneration Act 1976

## **5. LAW RELATED TO SOCIAL SECURITY**

- The Employees' Compensation Act, 1927
- The Employees' Compensation (Amendment) Act 2000
- The Employees' State Insurance Act 1948
- The Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952
- The Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Amendment Act 1952
- The Payment Of Gratuity Act 1972
- The Payment Of Gratuity Rules 1972
- Employees Liability Act 1938
- The Maternity Benefit Act 1961
- The Personal Injuries (Compensation Insurance) Act 1963
- The Personal Injuries (Emergency) Provisions Act 1962

## **6. LAW RELATED TO EMPLOYEMENT & TRAINING**

- The Employment Exchange (Compulsory Notification Of Vacancies) Act 1959
- The Apprentices Act 1961
- The Apprentices Rules 1992
- The Employment Exchange (Compulsory Notification Of Vacancies) Rules 1960

## **7. WORKING HOUR, CONDITION OF SERVICE & EMPLOYMENT**

- The Mines Act 1952
- The Factories Act 1948
- The Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act 1986

## **8. LAW RELATED TO INDUSTRIAL RELATIONS**

- The Trade Unions Act 1926.
- Trade Unions (Amendments) Act 2001
- The Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946.
- The Industrial Disputes Act 1947.
- The Plantation Labour Act. 1951.

### **Schemes**

- NCLP Scheme - The National Child Labour Policy.
- Grant In Aid on Child Labour.
- Rashtriya Swasthya Bima Yojana.
- DGET Schemes -
- Plan Schemes of DGFSLI.
- Plan Schemes for DGMS.
- Grant in Aid Schemes for Woman Labour

**National Legal Services Authority**  
**(Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector)**  
**Scheme, 2010**

[Adopted in the Meeting of the Central Authority of NALSA held on 8.12.2010 at Supreme Court of India]

---

In the Regional Conference of the State Legal Services Authorities of the Western Region organised by the National Legal Services Authority (NALSA) at Ahmedabad on 28-29 August, 2010 the topic of deliberations was '*Workers in the Unorganised Sector and the Role of Legal Services Authorities*'. Detailed discussions took place on the plight of unorganised workers in securing their statutory rights and availing of the benefits of the various schemes put in place by the State Governments.

It is estimated that the workers in the unorganised sector contribute more than 60 per cent of the national economy. Unlike their brethren in the organised sector, they are generally reluctant to come to the forefront and demand for the benefits under the various schemes and other welfare measures put in place by the labour department and other institutions because of their sheer unorganised or loosely organised nature. Such workers are generally not confined to any particular area as their place of work has no permanent status. Quite often their work is seasonal and when the work at once place is finished they migrate to other places in search of work. They do different kinds of work depending on the availability of work. Some stick on to certain avocations on the basis of caste and tradition and yet remain unorganised.

In this scenario, the general problem the authorities and welfare institutions face is that the workers in the unorganised sector are not identifiable. Illiteracy, poverty and the concern for earning their daily bread compel these workers to forsake the benefits of the various social welfare measures. It is the duty of the legal services institutions to reach out to the workers in the unorganised sector for making available the benefits of various schemes and to provide them the protection of law.

Most of the schemes and welfare laws for the benefits of the workers in the unorganised sectors are dispensed through the institutional mechanisms of Boards and Corporations. Such schemes and laws are in the nature of social security measures and provide assistance to the unorganised workers, at least to tide over their difficult times. Legal services institutions should come to the help of this disadvantaged group to make available the benefits though small in quantum, to ease their struggle against the odds of life.

Legal Services Authorities can come to the help of the workers in the unorganised sector in the following manner:

**1) Identifying the unorganised workers within the jurisdiction of each legal services institution by conducting surveys.**

State Legal Services Authorities may take steps for conducting surveys for identifying unorganised workers and all other categories of workers included in Central Act 33 of 2008. Services of law students, NGOs and para-legal volunteers also can be availed of for conducting

such surveys. Surveys can be conducted in a phased manner, gradually covering entire area within the jurisdiction of the legal services institutions concerned. The beneficiaries may be categorised into groups depending on the different welfare schemes of the State Government implemented through the Boards and Corporations (i.e. Construction Workers Welfare Board, Bidi Workers Welfare Board, Artisans Welfare Corporation etc). The survey should indicate whether the workers belonging to each category have made efforts to avail of the benefits of the scheme or scheme / legislation / programme of the government. The next step shall be to liaise with the Boards / Corporations concerned to make available the benefits of the schemes / programmes. Every effort shall be made to ensure that all deserving unorganised workers are brought to avail of the benefits.

**2) Conducting legal awareness programmes for the identified groups of unorganised workers.**

After identification of the unorganised labourers in each category, legal awareness programmes may be organised for creating awareness amongst them about the different welfare schemes and social security measures available. For this purpose, awareness programmes may be organised, as far as possible, at the place of work itself (e.g construction work sites, market places in the case of street-vendors etc). Legal awareness classes can be conducted in other places like community halls also. Care shall be taken that the timing of the awareness programmes does not conflict with the work of workers. Lunch intervals and holidays can be utilised for the awareness campaigns.

**3) Persuading and assisting the workers in the unorganised sector to avail of the benefits under the different social welfare legislations, administrative programmes and schemes put in place by the State Governments.**

Workers in the unorganised sector may be temperamentally not inclined to undergo the hassles for availing of the benefits of the schemes, programmes etc. Most of them being poor, illiterate and belonging to the lower strata of the society may not have the mental capacity to demand for their entitlements. Migrant workers being eager to go back to their villages after the work are unlikely to have support from the local people where they work. They are worst sufferers and victims of exploitation. Any such situation demanding individual will have to taken care of attention and, if necessary, legal aid can be given.

**4) Reaching out to the unorganised labourers and facilitating their bargaining capacity with the employers and the institutional mechanisms for their welfare.**

Unorganised workers seldom have bargaining capacity for securing their rightful entitlements. This leads to exploitation by the employers. Temporary nature of their work also disables them from using the collective bargaining techniques. Support by the legal services institutions to the unorganised workers will empower them in demanding their legal rights and entitlements. It shall be ensured that the workers are able to approach the Legal Services Authorities with confidence to avail of the benefits under the Central Act 33 of 2008.



**5) Providing legal assistance in appropriate cases.**

If any particular case requires legal action the legal services institution shall provide necessary legal assistance. For cases of court based legal services the eligibility criteria prescribed under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987 shall be kept in mind. The provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970; The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; The Inter-State Migrant Workmen Act, 1979; The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and other major labour legislations also may be made use of in appropriate cases.

\* \* \* \* \*

प्रफोर्मा

क0सं0	विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण के नाम	निरीक्षण की दिनांक व समय	विधिक साक्षरता टीम द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	विधिक साक्षरता टीम के सदस्यों को दिये गये मानदेय की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6